



स्वतंत्र प्रभात दैनिक अखबार तथा ऑनलाइन चैनल से सीधा जुड़ने के लिए संपर्क करें..... 9511151254

आणंद में त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी की नींव रखने मौके बोले अमित शाह, कांग्रेस नेहरू-गांधी परिवार को छोड़ सबको भूल जाता है

स्वतंत्र प्रभात
गुजरात के आणंद में केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपने ही नेता त्रिभुवनदास किशोर्भाई पटेल को भुला दिया, जिन्होंने अमूल की नींव रखी और देश में सहकारिता आंदोलन को एक नई दिशा दी। शाह ने साफ किया कि लोकसभा में पेश किए गए त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी विधेयक, 2025 में इस यूनिवर्सिटी का नाम त्रिभुवनदास पटेल के सम्मान में रखा गया है, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे। उन्होंने कहा, "विपक्ष को शायद यह भी नहीं पता कि त्रिभुवनदास उनकी ही पार्टी से थे। लेकिन वे नेहरू-गांधी परिवार से नहीं थे, इसलिए कांग्रेस ने उन्हें भुला दिया।"
अमूल और सहकारिता आंदोलन में त्रिभुवनदास का योगदान अमित शाह ने बताया कि त्रिभुवनदास पटेल ने सरदार पटेल के मार्गदर्शन में



अमूल की स्थापना की और वर्गीज कुरियन को डेयरी साइंस पढ़ने के लिए विदेश भेजा। इसका नतीजा यह हुआ कि आज भारत विश्व में सबसे ज्यादा दूध उत्पादन करने वाला देश है। शाह ने कुरियन के योगदान को भी सराहा, लेकिन इस बात पर जोर दिया कि उस पूरी सोच कि शुरुआत त्रिभुवनदास पटेल के विजन से हुई थी। शाह ने यह भी बताया कि जब त्रिभुवनदास अमूल से सेवानिवृत्त हुए, तो उन्होंने अपनी सेवामुक्ति पर मिले 6 लाख रुपये फाउंडेशन को दान में दे दिए, जो उनके समर्पण का प्रतीक है।

यूनिवर्सिटी का उद्देश्य और महत्व

अमित शाह ने कहा कि यह यूनिवर्सिटी

सहकारिता क्षेत्र को नई दिशा देगी। इसमें प्रबंधन, वित्त, कानून और ग्रामीण विकास से जुड़े कोर्स होंगे। यह यूनिवर्सिटी 200 से ज्यादा सहकारी संस्थाओं से जुड़कर पीएचडी, डिग्री, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स कराएगी। साथ ही, यह 40 लाख सहकारी कर्मियों को प्रशिक्षित कर भाई-भतीजावाद को खत्म करने में मदद करेगी।

मोदी सरकार की पहल और सहकारिता की मजबूती

शाह ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2021 में सहकारिता मंत्रालय की स्थापना के बाद अब तक 60 नई पहलें शुरू की गई हैं, जो किसानों की आय बढ़ाने

और ग्रामीण विकास को गति देने के लिए हैं। पीएम मोदी ने 2 लाख नए पैक्स (प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां) बनाने की घोषणा की है, जिससे 17 लाख लोग जुड़ेंगे। CBSE ने भी 9वीं से 12वीं तक के पाठ्यक्रम में सहकारिता को शामिल किया है, जिससे युवा पीढ़ी को इस क्षेत्र से जोड़ा जा सके।

अमूल- सहकारिता का मॉडल

शाह ने कहा कि अमूल आज 80,000 करोड़ रुपये के टर्नओवर के साथ देश का सबसे मूल्यवान ब्रांड है, जो 36 लाख ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बना रहा है। उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि वर्गीज कुरियन के जन्म शताब्दी वर्ष को अमूल और गुजरात सरकार ने मनाया, लेकिन कांग्रेस ने इस ऐतिहासिक मौके को भी नजरअंदाज कर दिया। अंत में शाह ने कहा, "त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी न सिर्फ एक शैक्षिक संस्थान है, बल्कि यह सहकारिता के जननायकों को सच्ची श्रद्धांजलि है, जो ग्रामीण भारत को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में अहम भूमिका निभाएगी।"

राज ठाकरे का विवादित बयान, कहा- जो ज्यादा नाटक करें उसके कान के नीचे बजाओ, लेकिन वीडियो मत बनाओ

स्वतंत्र प्रभात
महाराष्ट्र की सियासत में 5 जुलाई 2025 का दिन एक बड़े बदलाव का गवाह बना, जब दो दशकों बाद उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक ही मंच पर साथ नजर आए। इस ऐतिहासिक मौके पर दोनों नेताओं ने एक सुरु में बीजेपी पर निशाना साधा और महाराष्ट्र की अस्मिता की आवाज बुलंद की। राज ठाकरे ने अपने संबोधन में बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा, "मुन्हारे पास विधानभवन में सत्ता है, लेकिन हमारे पास सड़कों की सत्ता है।" उन्होंने यह भी खुलासा किया कि राज्य के शिक्षा मंत्री दादा भुसे उनसे मिलने आए थे, लेकिन उन्होंने उनसे साफ कह दिया, "आपकी बात सुनूंगा, पर मानूंगा नहीं।" राज ने कहा कि जब पूरा महाराष्ट्र एकजुट होकर खड़ा होता है, तो सरकार को उसकी ताकत दिखती है। उन्होंने कहा कि यह एकता अब राज्य को आगे ले जाएगी।
"हिंदी हम पर न थोपें, हम मराठी हैं" राज ठाकरे ने हिंदी भाषा के मुद्दे पर भी केंद्र सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि उत्तर भारत से लोग काम की तलाश में महाराष्ट्र आते हैं, और यहां आकर मराठी लोगों से हिंदी



सीखने की उम्मीद करते हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या कभी मराठों ने किसी पर मराठी भाषा थोपने की कोशिश की? "हिंदी सिर्फ 200 साल पुरानी है, जबकि मराठा साम्राज्य की जड़ें हर कोने में फैली थीं," उन्होंने कहा। राज ने यह भी आरोप लगाया कि हिंदी थोपने का प्रयास मुंबई को महाराष्ट्र से अलग करने की साजिश का हिस्सा है। उन्होंने आगाह किया कि "हम शांत हैं, लेकिन मूर्ख नहीं।" किसके- किसके बच्चे विदेश में पढ़ते हैं, इसकी पूरी लिस्ट हमारे पास है।"

फडणवीस की शिक्षा पर टिप्पणी

राज ठाकरे ने देवेंद्र फडणवीस की अंग्रेजी शिक्षा का जिक्र करते हुए कहा कि अंग्रेजी माध्यम में पढ़ने वाले हर व्यक्ति की निष्ठा पर

शक करना गलत है। उन्होंने अपने पिता और बालासाहेब ठाकरे को याद करते हुए कहा कि वे भी अंग्रेजी माध्यम से पढ़े थे, लेकिन उनका मराठी और हिंदुत्व के प्रति योगदान अमूल्य है। उन्होंने आगे कहा कि देश के बड़े नेता और अभिनेता जैसे जयललिता, स्टालिन, कमल हासन, पवन कल्याण, ए.आर. रहमान आदि भी अंग्रेजी में पढ़े हैं – तो क्या उनकी देशभक्ति या क्षेत्रीय भाषाओं के प्रति प्रेम पर सवाल उठता है? राज ने भारतीय सेना की विविध रेजीमेंटों का उदाहरण देते हुए कहा, "जब दुश्मन हमला करता है, तब न कोई भाषा मायने रखती है और न जाति सब एकजुट होकर जवाब देते हैं।"

कार्यकर्ताओं को दी सलाह

राज ठाकरे ने अपने कार्यकर्ताओं को भी संबोधित किया और हाल ही में मीरा रोड की एक घटना का हवाला दिया, जहां एक व्यवसायी की हत्या हुई। उन्होंने कहा, "ध्या किसी के माथे पर लिखा होता है कि वह किस जाति या समुदाय से है? बेवजह किसी को मत मारो, लेकिन अगर कोई ज्यादा नाटक करता है, तो उसके कान के नीचे जरूर बजाओ। और आली बार जब किसी को पीटो, तो उसका वीडियो मत निकालो।"

संक्षिप्त ख़बरें
श्रीराम यादव अध्यक्ष व शिवम राय बने सचिव रूद्रपुर, देवरिया। ओकास रेजीडेंसी अपार्टमेंट सुशांत गोल्फ सिटी लखनऊ में ओकास रेजीडेंसी अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष श्रीराम यादव व शिवम राय सर्व सम्पति से सचिव चुने गए। 10 सदस्यीय बोर्ड का प्रथम वार्षिक चुनाव दिनांक 29 जून दिन रविवार को सफलतापूर्वक सम्पन्न हुआ था। निर्वाचित सदस्यीय बोर्ड के अशोक कुमार, अजय द्विवेदी, अनिल नायक, गोविंद सिंह, कुलदीप कुमार, शकुंतला सिंह ने सर्व सम्पति से श्री राम यादव को अध्यक्ष,चंद्र शेखर को उपाध्यक्ष, शिवम राय को सचिव एवं कविता सिंह को कोषाध्यक्ष मनोनीत किया। पदाधिकारियों के मनोनयन पर सोसाइटी के लोगों ने हर्ष व्यक्त किया व बधाई दी।
केंद्रीय राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने किया पौधरोपण
देवरिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर देशभर में चल रहे एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत रविवार को बासगांव लोकसभा क्षेत्र के सांसद एवं केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने बरहज विधानसभा क्षेत्र के सोनूघाट में वृक्षारोपण किया। यह कार्यक्रम ब्लॉक प्रमुख देवरिया सदर पवन कुमार गुप्त उर्फ पिंटू के संयोजन में आयोजित किया गया। इस अवसर पर पासवान ने आम जनता से अपील किया कि वे भी इस अभियान से जुड़ें और अपनी मां के सम्मान में एक पेड़ अवश्य लगाएं। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण आम की सबसे बड़ी आवश्यकता है, और यह अभियान हमें प्रकृति तथा मातृत्व दोनों से जोड़ता है। कार्यक्रम के दौरान ब्लॉक प्रमुख ने सांसद से क्षेत्रीय विकास से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा की। विशेष रूप से पड़री मल्ल रेलवे ढाला पर अंडरपास की मांग प्रमुख रही। सांसद ने समस्याएं ध्यानपूर्वक सुनीं और आश्वासन दिया कि इस संबंध में शीघ्र आवश्यक कार्यवाही की जाएगी इस अवसर पर बड़ी संख्या में स्थानीय जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक और ग्रामीण मौजूद रहे। कार्यक्रम के अंत में सभी ने मिलकर वृक्षारोपण किया और पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया।

अधिवक्ता की शर्मनाक कर्तवृत्त! मदद के लिए आई महिला से जलालुद्दीन ने 3 साल तक किया रेप

जबरन रखवाए रोजे, घर में पढ़ी नमाज, धर्मांतरण

स्वतंत्र प्रभात
आगरा- यूपी के आगरा से इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। यहां एक महिला न्याय के लिए मदद मांगने अपने वकील के पास गई तो अधिवक्ता ने उसे हवस का शिकार बना डाला। वकील ने तीन साल तक महिला के साथ लगातार रेप किया। जब महिला ने उसका विरोध किया तो उसे बदनाम करने की धमकियां दीं। उसके घर पर नमाज पढ़ने के साथ-साथ जबरन धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने लगा। ऐसा न करने पर अधिवक्ता ने उस पर चाकू से हमला कर दिया। पीड़ित महिला ने आरोपी के विरुद्ध पुलिस सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया है।
तप्पसी से जानें पूरा मामला पूरा मामला जिले के थाना शाहगंज क्षेत्र का है। यहां की निवासी पीड़ित महिला अपनी बेटी और मां के साथ रहती है। महिला के पति विकलांग हैं और गुजरात में रहते हैं। पीड़िता ने बताया कि उसके



भाईयों से उसका विवाद चल रहा था। साल 2019 में न्याय के लिए उसने दीवानी कचहरी स्थित अधिवक्ता जलालुद्दीन से संपर्क किया था। आरोपी जलालुद्दीन की नीयत उस पर डोल गई और एक दिन वह उसके घर आ धमका। महिला की तबीयत पढ़ने की वजह से वह उसे दवा दिलाने के बहाने एमजी रोड स्थित कांग्रेस कार्यालय ले गया। जहां उसने महिला को पिस्टल की नोक पर अपनी हवस का दुष्कर्म सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया है।

घर में पढ़ता था नमाज

अकेले रहने का फायदा उठाकर वह महिला के घर भी आने लगा। घर में जब



कोई नहीं होता तो वह उसके साथ दुष्कर्म करता। पीड़िता ने बताया उसकी मां की मौत के बाद उसकी हिम्मत इतनी बढ़ गई कि उसके घर पर ही कब्जा जमा लिया और नमाज पढ़ने लगा। आरोपी महिला से रोजे रखवाता था। उससे निकाह करने और धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाता था। पीड़िता ने जब विरोध किया तो उसके ऊपर चाकू से हमला कर दिया।

पुलिस ने नहीं दर्ज की एफआईआर

पीड़िता का कहना है कि जलालुद्दीन की शिकायत करने के लिए वह थाना शाहगंज गई, लेकिन किसी ने उसकी एक नहीं सुनी। वह न्याय के लिए दर-दर भटक रही थी। एसीपी मयंक तिवारी ने बताया कि तहरीर के आधार पर केस दर्ज कर लिया है। आरोपी की तलाश जारी है।



खाली कुर्सी और लघु व्यवस्था ने खोली पोलमरीज करता रहा इंतजार, न डॉक्टर मिला, न मददगार, इंटर्न ने किया इलाज

स्वतंत्र प्रभात
बुलंदशहर – उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में बाबू बनारसी दास चिकित्सालय से एक अनोखा मामला सामने आया है। रात के समय इमरजेंसी में न तो डॉक्टर मिलते और न ही फार्मासिस्ट मिलते हैं। यहां इंटर्नशिप कर रहे बच्चे इलाज करते हैं। जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जानकारी के

अनुसार, सड़क हादसे में घायल एक युवक को बुलंदशहर के जिला अस्पताल की इमरजेंसी में लाया गया जहां पर इलाज के नाम पर खाना पूर्ति देखने को मिली। जब युवक को इमरजेंसी में भर्ती कराया, तब वहां पर डॉक्टर और फार्मसी नहीं मिले। सबसे हैरानी की बात यह है की यहां मरीज के इलाज के नाम पर खिलवाड़ हो रहा है। इंटर्नशिप कर रहे बच्चे ही उसका इलाज करने लगे। अब वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। घायल युवक के परिजन बाबू बनारसी दास चिकित्सालय से एक अनोखा मामला सामने आया है। रात के समय इमरजेंसी में न तो डॉक्टर मिलते और न ही फार्मासिस्ट। उधर इस मामले में सीएमएस ने वीडियो के आधार पर मामले में जांच कर कार्रवाई की बात कही है।

नयी प्रौद्योगिकियां भारत की विकास गाथा को परिभाषित करेंगी- पीयूष गोयल



स्वतंत्र प्रभात

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने शनिवार को कहा कि नयी प्रौद्योगिकियां आने वाले वर्षों में भारत की विकास गाथा को परिभाषित करेंगी। Indian Institute of Technology (IIT) मद्रास एलुमनाई ने एसोसिएशन के ९९९ 'कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गोयल ने कहा, "आपका विज्ञान, आपकी प्रौद्योगिकी, इस जीवंत स्टार्टअप पारिस्थितिकी, अनुसंधान एवं विकास तथा नवाचार के साथ मिलकर भारत के भविष्य की विकास गाथा को आकार देगे।"

गोयल ने कहा कि भारत नौकरी चाहने वाले देश से नौकरी देने वाले देश में बदल रहा है। उन्होंने कहा, "बेशक, कुछ छोटे उपायों में, हमने स्टार्टअप पारिस्थितिकी और

इसका समर्थन करने के लिए विभिन्न अन्य पहलों का हिस्सा बनने की कोशिश की है, साथ ही आईआईटी मद्रास जैसे संगठनों ने जो काम किया है, उसका भी हिस्सा बनने की कोशिश की है।" गोयल ने कहा कि भारत की नीतियां भविष्य के लिए तैयार राष्ट्र बनाने के लिए बनाई गई हैं, जो प्रौद्योगिकी को अपनाता है, काम करने और जीने के नए तरीकों को अपनाता है, और कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मशीन लर्निंग, क्लाउड कंप्यूटिंग तथा डेटा विश्लेषण जैसे क्षेत्रों में अग्रणी है। मंत्री ने कहा, "हम नयी प्रौद्योगिकियों से पीछे नहीं हटेंगे। हमारा मानना ​​​​है कि ये प्रौद्योगिकियां हमें विकास की सूची में आगे बढ़ाने में मदद करेंगी।" उन्होंने कहा कि इससे भारत को अपने अंतरराष्ट्रीय जुड़ाव का विस्तार जारी रखते हुए वैश्विक व्यापार में मंदी की प्रवृत्ति को रोकने में मदद मिलती है।



भारतीय महिलाओं में बढ़ती अपराध प्रवृत्ति -सामाजिक चेतना के लिए एक संकेत

भारतीय समाज में नारी को अब तक करुणा, सहनशीलता, नैतिकता, त्याग, ममता और मर्यादा की मूर्ति के रूप में देखा गया है। 'जननी', 'गृहध्वक्सी' और 'संस्कारों की संरक्षिका' जैसे विशेषण सदियों से भारतीय नारी को परिभाषित करते रहे हैं। लेकिन आधुनिक तकनीकी सज्जा में जहाँ महिलाएँ शिक्षा, राजनीति, विज्ञान, सेना, व्यवसाय और नेतृत्व के उच्च शिखरों को छू रही हैं, वहीं एक चिंताजनक पहलू यह भी है कि कुछ महिलाएँ अब अपराध की दुनिया में भी प्रवेश कर रही हैं। यह प्रवृत्ति केवल व्यक्तिगत नहीं, अपितु समाज की सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक संरचना की देती है कि हमारे मूल्यों और तंत्रों में कहीं न कहीं कोई असंतुलन उत्पन्न हो रहा है।

महिला अपराध के क्षेत्र (जिविध और चिंतनजनक विस्तार)
यद्यपि महिलाओं द्वारा किए जाने वाले अपराधों की संख्या पुरुषों की तुलना में बहुत कम है, लेकिन इनकी प्रकृति अब जघन्य अपराधों तक पहुँचने लगी है। कुछ महिलाएँ अब व्यभिचार, आर्थिक अपराध, घरेलू हिंसा, मानव तस्करी, साइबर अपराध और यौन शोषण जैसे गंभीर अपराधों में संलिप्त पाई गई हैं। देहेज कानून का दुरुपयोग कर पुरुषों और उनके परिवार को झूठे मामलों में फँसना अब आम बात हो गई है। विवाहोत्तर संबंधों के चलते ब्लैकमेलिंग, आतंक्यता के लिए ऋसना और हत्या जैसे अपराधों में भी महिलाओं की संलिप्तता देखी गई है। सोशल मीडिया पर फेक प्रोफाइल, ब्लैकमेलिंग, इमोशनल फ्रॉड, लव स्कैम और हेनरी टैप जैसे संगठित अपराधों में भी कुछ महिलाएँ सक्रिय हैं। कामकाजी महिलाओं

झरा घरेलू नौकरों, बच्चों और बुजुर्गों के प्रति दुर्व्यवहार, उपेक्षा और मानसिक प्रताड़ना की घटनाएँ सामने आ रही हैं। मानव तस्करी और वेश्यावृत्ति में महिलाएँ दलाल या एजेंट के रूप में कार्य करती पकड़ी गई हैं। फर्जी बैंक खाता, क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी और जासूसी जैसी गतिविधियों में भी महिलाओं की संलिप्तता पाई गई है।

अपराध की ओर झुकाव के कारण (मनोवैज्ञानिक और सामाजिक विश्लेषण)

महिलाओं के अपराध में लिंग होने के पीछे कई व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामाजिक कारण उभरकर सामने आते हैं जैसे - फिल्मों, वेब सीरीज और सोशल मीडिया ने आधुनिकता को उच्छ्वेलता से भर दूँ दिया है, जिससे नैतिक मूल्यों का ह्रास हुआ है। संयुक्त परिवारों का विघटन, तलाक, असफल प्रेम संबंध, एकल मातृत्व जैसी स्थितियाँ मानसिक तनाव को बढ़ा रही हैं। देहेज निषेध अधिनियम, धरदूँ हिसा अधिनियम जैसे महिला हितों को कानूनों का कभी-कभी गलत उपयोग करने 'कानूनी अपराध' की एक नई परिभाषा गढ़ी जा रही है। आत्मसम्मान की कुँ, बदले की भावना, गुस्सा या अवसाद जैसे मनोवैज्ञानिक स्थितियाँ महिलाओं के अपराध की दुनिया में जाने के लिए उकसा रही हैं।

माहिলা अपराध के सामाजिक संकेत (नैतिकता की चुनौतियाँ)
जब वे महिलाएँ, जिन्हें समाज नैतिकता की प्रतीक मानता था, अपराध में सिलसिले होने लगती हैं, तो यह समाज के नैतिक ढाँचे को झकझोरता है। इससे नारी सशक्तिकरण की अवधारणा पर आंच

आती है और महिला-विरोधी पूर्वाग्रह को बल मिलता है। वास्तविक पीड़ितों को न्याय मिलना कठिन हो जाता है क्योंकि न्याय प्रणाली झूठे मामलों के बोझ से दब जाती है। समाज में एक अनैतिक सामान्यीकरण पनपने लगता है - जहाँ सदेह, अविश्वास और सामाजिक अस्थिरता जन्म लेने लगती है।

सशक्तिकरण का संतुलित और नैतिक दृष्टिकोण

भारतीय महिलाओं में बढ़ती आपराधिक प्रवृत्तियाँ केवल आँकड़ों का विषय नहीं हैं, यह समाज की नैतिक संरचना, पारिवारिक संतुलन और वैचारिक दिशा के लिए एक गंभीर चेतावनी हैं। आधुनिकता, स्वतंत्रता और अधिकारों की यह यात्रा यदि उत्तरदायित्व, संवेदना और नैतिक संवेचित रह जाए, तो नाराज का व्यक्तिगत सशक्तिकरण के स्थान पर विकृति की ओर मुड़ सकता है। हमें यह भी स्वीकार करना होगा कि केवल महिलाएँ ही नहीं, पुरुष और समाज भी इस विकृति के लिए आंशिक रूप से उत्तरदायी हैं। कई बार पुरुषों की उपेक्षा, शोषण, धोखा, हिंसा या भावनात्मक बेरुखी महिलाओं को अवसाद, क्रोध या प्रतिशोध की ओर ले जाती है, जो आगे चलकर आपराधिक व्यवहार का कारण बन सकती है। इसलिए —पुरुषों को चाहिए कि कि वे महिलाओं के साथ समानता, सम्मान और सहयोग का व्यवहार करें, न कि स्वामित्व, उपयोग या दमन का; विवाह, प्रेम और पारिवारिक रिश्तों में पारदर्शिता और ईमानदारी को बनाए रखें, जिससे महिलाएँ धोखा, तिरस्कार या अन्याय के कारण अपराध की ओर न बढ़ें। अतः पुरुषों को भी आत्मचिन्तन करना चाहिए कि क्या

उनका व्यवहार किसी महिला को नैतिक या मानसिक रूप से उस सीमा तक ले जा रहा है जहाँ वह स्वयं को अपराध में उलझा पाती है।

महिला सशक्तिकरण की परिभाषा का केवल बाह्य उपलब्धियों तक सीमित नहीं रखा जा सकता। उसे आंतरिक शुचित्ता, विवेक, उत्तरदायित्व और समाज के प्रति प्रतिबद्धता से जोड़ना होगा। नारी यदि निर्माणकर्ता है, तो उसके विचार, आवरण और दिशा भी उसी ही पवित्र और प्रबुद्ध महिला चाहिए। समाधान और सुझाव-महिला अपराधों की रोकथाम के लिए आवश्यक कदम के रूप में नैतिक शिक्षा और मानसिक स्वास्थ्य की स्कूली और महाविद्यालयीन पाठ्यक्रम में अनिवार्य किया जाए; सोशल मीडिया के दुरुपयोग पर नियंत्रण पर विचार हो, साइबर जागरूकता और डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा दिया जाए; महिला केंद्रित कानूनों की समीक्षा की जाए ताकि उनके दुरुपयोग की गुंजाइश न्यूनतम हो; महिला अपराधियों के पुनर्वास कार्यक्रमों पर विशेष ध्यान दिया जाए, जिससे वे समाज की मुख्यधारा में लौट सकें; परिवार और मीडिया दोनों को चाहिए कि वे महिलाओं में संवेदनशीलता, आत्मनिर्भरता और समाज के प्रति उत्तरदायित्व की भावना विकसित करें; पुरुषों और लड़कों को भी 'सम्मान आधारित व्यवहार' की शिक्षा दी जाए, जिससे लैंगिक संतुलन और समझ बेहतर हो। सारांश में हम कह सकते हैं कि समाज तभी विकसित होगा जब नारी - शशक्त होकर भी संयमित और पुरुष - स्वतंत्र होकर भी मर्यादित रहेगा।

डॉ मनमोहन प्रकाश

सड़क पर बढ़ती माब जस्टिस की घटनाएँ क़ानून की हार या समाज की पीड़ा?

भारत का सड़का पर न्याय अब गवाही, सुनवाई और कानून की बारीकियों से तय नहीं होता, बल्कि भीड़ के शोर, संदेह और सनक से तय होने लगा है। माँब जस्टिस या कहें भीड़वर्त, वह त्रासद दृश्य बन गया है जो किसी दुर्घटना की तरह नहीं, बल्कि एक सामाजिक महामारी की तरह देश के कोनों-कोनों में फैल रहा है। जिस देश की न्याय-व्यवस्था दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक की विरासत है, वहां अब खुलेआम इंसाफ की बागडोर भीड़ के हाथों में सौंप दी जा रही है। कभी गोमांस के शक पर, कभी चोरी के संदेह में, कभी बच्चा चोरी की अफवाहों के बीच, तो कभी जातीय या धार्मिक भ्रामकता के आधार पर भीड़ एक निर्णय लेती है, एक सज़ा तय करती है। और बिना अदालत, बिना गवाही, बिना किसी कानून के पालन के किसी व्यक्ति को मौत के घाट उतार देती है। वह इंसान कौन था, क्या सचमुच दोषी था, उसका पक्ष क्या था यह सब सवाल पीछे छोड़ जाते हैं। जो रह जाते हैं वह है सड़कों पर पड़ी लाशें, वीडियो क्लिप, वायरल रही हिंसा और एक गूंगी होती संवेदना। जिस न्याय प्रणाली की बुनियाद इस सिद्धांत पर टिकी है कि सौ अपराधी छूट जाएं, पर एक निर्दोष को सज़ा न हो, उस व्यवस्था की भीतर अब एक उर्ला दर्शन पनप रहा है। यदि संदेह है तो दंडन करो, भले ही निर्दोष हो। यह केवल विधिगत विफलता नहीं है, बल्कि एक सामाजिक, नैतिक और संस्थानिक संकट है। भारत का संविधान स्पष्ट रूप से यह कहता है कि हर नागरिक को न्याय पाने का समान अधिकार है।

सुखद 21 यह सुनाश्चयत करता है कि किसी भी नागरिक से उसकी स्वतंत्रता या जीवन, बिना विधि सम्मत प्रक्रिया के, नहीं छीना जा सकता। मॉब जस्टिस इन मूलभूत संवैधानिक मूल्यों का खुला उल्लंघन है। भीड़तंत्र दरअसल न्याय नहीं, अधिनायकवाद है। यह वह मानसिकता को समाज के भीतर पल रही हाशा, उर, कुंठ और बदले की भावना से जन्म लेती है। जब न्यायालयों में वर्षों तक फैसले नहीं आते, जब पुलिस पांच के नाम पर चुप्पी साध लेती है, जब सत्ता पक्ष अपराधियों को संरक्षण देता है, तब नागरिकों के भीतर यह धारणा बनती है कि न्याय अब उनके हाथ में लेना जरूरी हो गया है। यही वह क्षण होता है जब संवैधानिक लोकतंत्र की आत्मिका काह उठती है। यह खतरा केवल कानून की अश्वमता से नहीं, समाज की चुप्पी और सहमति से भी जन्म लेता है। जब लोग वीडियो बनाते हैं, पर मदद नहीं करते, जब सोशल मीडिया पर हिंसा की प्रशंसा होती है, जब धर्म और जाति के नाम पर हत्याएं न्याय में बदल दी जाती हैं, तब यह स्पष्ट हो जाता है कि यह केवल अपराध नहीं, एक सामाजिक स्वीकृति बन गई है। संविधान किसी भी कानून को न्याय करने का अधिकार नहीं देता। भीड़ का राज और भीड़ का राज दोनों में बुनियादी अंतर है। पहला न्याय पर आधारित होता है, दूसरा भावनाओं पर पहले में सबूत, दलील, अपील और सुनवाई होती है, दूसरे में अफवाह, उजेला और हत्या। यहाँ लीचों केवल किसी एक समूह या वर्ग की समस्या नहीं है, यह पूरे समाज की आत्मा पर लगा कलंक है। इसमें न

बल्लभ इन्द्राणी को जान लाँ है, बाल्लक हमारा समाजिक विश्वास, संस्थागत ढाँचे और लोकतांत्रिक चेतना को भी गहरा आधार पहुँचाया है। यह विडंबना है कि हम उस देश में रह रहे हैं जहाँ संविधान निर्माता डॉ. भीमराव अंबेडकर ने कानून को समाजिक परिवर्तन का उपकरण माना था, लेकिन आज उसी समाज में कानून को ठेकर मार कर भीड़ खूब को जज, जूरी और जल्लाद घोषित कर रही है। यह गिरावट मात्र किसी विधायी दोष का परिणाम नहीं, बल्कि हमारी नैतिक पराजय का संकेत है। कई राज्यों में मौल्य लॉजिक के विरुद्ध कड़े कानून बनाए हैं, लेकिन इनका क्रियाव्यवहार अवसर राजनीतिक इच्छाशक्ति और प्रशासनिक निष्क्रियता के सामने बौना साबित होता है। सिर्फ कानून बना देना काफी नहीं होता, जब तक न्याय प्रणाली में आम जनता का भरोसा बहाल न हो, जब तक पिड़तों को सुरक्षा, गवाहों को संरक्षण और आरोपियों को निष्पक्ष डंड न मिले। तब तक भीड़ का यह तांडव चलता रहेगा। मीडिया की भूमिका भी इस उन्माद को बढ़ावा देती है। जब टीआरपी को भूख में समाकर चैनल हस्त के दृश्यों को सूनसनी बनाकर प्रोसेस है, जब वे पीड़ित की जगह आरोपी को नायक बना देते हैं, तब यह हिंसा सिर्फ एक घटना नहीं, एक विचारधारा बन जाती है जिसे भीड़ आत्मसात कर लेती है। समाधान केवल कानून के कठोर डंटी में नहीं, बल्कि समाज की आत्मा के पुनर्निर्माण में है। हमें स्कूलों, विश्वविद्यालयों, पंचायतों, धार्मिक

आराजकता की है। हम यह सिखाना होगा कि न्याय का अर्थ बदलना नहीं होता, और कानून को अपने हाथ में लेना दरअसल अपनी ही सुरक्षा को खतरे में डालना है। लोकतंत्र में असहमति की जगह होती है, लेकिन आराजकता की नहीं। समाज को यह तय करना होगा कि वह कानून के राज में विश्वास करता है या भावनात्मक अंधता के उस तंत्र में जहाँ संदेह ही सजा बन जाता है। यदि आज हमने इस सवाल का उत्तर नहीं खोजा, यदि हमने भीड़ की मानसिकता को चुनौती नहीं दी, तो कल हर नागरिक भय की परछाईं में जीने को मजबूर होगा। मॉब जस्टिस की घटनाएँ हमें यह बताती हैं कि भारत केवल आर्थिक, तकनीकी या राजनीतिक रूप से ही नहीं, बल्कि नैतिक रूप से भी एक गहरे संकट से गुजर रहा है। यह संकट कानून केवल सरकार या न्यायपालिका का नहीं, यह संकट हम सबका है उस समाज का जिसने आँखें मूंद रखी हैं, उस वर्ग का जो चुप है, और उस भीड़ का जो तय करती है कि किसे जीने का हक है और किसे नहीं। आज जरूरत इस बात की है कि हम इस भयावर प्रवृत्ति के विरुद्ध आवाज उठाएँ। एकजुट होकर संविधान, कानून, नैतिकता और मानवीय गरिमा के पक्ष में खड़े हों। क्योंकि यदि हम चुप रहें, तो आने वाला समय न केवल असुरक्षित होगा, बल्कि अन्यायी भी।भीषंड के हाथों न्याय नहीं होता केवल विध्वंस होता है। और विध्वंस की राख से कभी कोई सभ्यता नहीं उगती।

हंसराज चौरसिया

आशंका बन सकती है। व्यापार ठीक चलेगा। आय बनी रहेगी।

धनु-आज पहले किए गए प्रयास का लाभ अब मिलेगा। समय पर कर्ज चुका पाएंगे। प्रतिस्पर्धियों पर विजय प्राप्त होगी। व्यापार-व्यवसाय मनोनुकूल लाभ देंगे। निवेश शुभ फल देगा। नौकरी में कार्य की प्रशंसा होगी। भाग्य का साथ मिलेगा। खोई हुई वस्तु मिल सकती है। प्रमाद न करें।

मकर-आज कामकाज में अधिक ध्यान देगा। पड़ेगा। दूर से दुःखद समाचार मिल सकता है। भागदौड़ रहेगी। समय पर काम नहीं होने से तनाव रहेगा। गुस्से पर काबू रखें। व्यापार-व्यवसाय में उतार-चढ़ाव रहेगा। नौकरी में अधिकारी अधिक की अपेक्षा करेंगे। किसी व्यक्ति के उकसाने में न आएँ।

कुम्भ-आज आय में सुगमता रहणी। घर में मेहमानों का आगमन होगा। व्यय होगा। दूर से शुभ समाचार प्राप्त होंगे। प्रसन्नता बढ़ेगी। जोखिम उठाने का साहस कर पाएंगे। आनंद और उल्लास के साथ जीवन व्यतीत होगा। पारिवारिक सहयोग प्राप्त होगा। चोट व रोग से हानि संभव है।

लेने का अवसर प्राप्त होगा। यात्रा मनोरंजक रहेगी। शिक्षा के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। व्यस्तता के चलते स्वास्थ्य को नजरअंदाज न करें। बेवजह विवाद हो सकता है। लाभ के अवसर हाथ आएं। उत्साह व प्रसन्नता से काम कर पाएंगे।

पैरेंटिंग 2.0- तकनी
[डिजिटल चुनौतियों में घिरा
बचपन- पथ-प्रदर्शक बनते
अभिभावक]

जब एक बच्चे की मासूम आँखों में दुनिया की पहली किरण झलकती है, तो उसकी नज़रें माता-पिता का चेहरा नहीं, बल्कि उनके अथाह प्यार, उनकी गमाईट और उनकी अनंत उम्मीदों का सागर देखती हैं। यह वह पल है, जब एक नन्हा दिल धड़कना शुरू करता है, और माता-पिता का हर शब्द, हर स्पर्श, उस ओर की कितना परम अमिट स्मृति बनकर उतरता है। लेकिन आज का दौर वह नहीं, जहाँ केवल लोरियों की मिश्रण या परियों की कहानियों का जादू बच्चे का भविष्य संभाल सकता है। यह युग डिजिटल चमक, सूचनाओं के तूफान और जटिल रिश्तों का है। यहाँ परेंटिंग अब सिर्फ पालन-पोषण नहीं, बल्कि एक ऐसी कला है, जो बच्चों को तकनीक की चकाचौंध और मानवीय संवेदनाओं के बीच संतुलन का पाठ पढ़ाती है। यह एक अनमोल संस्करण है, जहाँ माता-पिता न केवल मार्गदर्शक, बल्कि सहायत्री बनकर बच्चों के साथ कदम मिलाते हैं—सीखते, समझते और एक नई दुनिया को गढ़ते हुए। आज के बच्चे डिजिटल युग के सच्चे सिपाही हैं, जिनका जन्म ही स्क्रीन की चमक और सूचनाओं के सैलाब के बीच हुआ है। यूनैस्को इंडिया (2023) के एक अध्ययन के अनुसार, भारत में 6-14 वर्ष के 71% बच्चे रोजाना स्मार्टफोन से जुड़े रहते हैं, औसतन 3-4 घंटे स्क्रीन की दुनिया में खोए रहते हैं। यूसूब-वर्ल्ड उनकी पाठशाला है, सोशल मीडिया उनका कमरा, और वचुअल दुनिया उनकी पहचान का आईना। लेकिन इस चकाचौंध के पीछे छुपा है एक अदृश्य खतरा—साइबरबुलिंग, ऑनलाइन शोषण, और बच्चों की लत का जाल। नेशनल सेंटर फॉर ब्योटेक्नोलॉजी इन्फॉर्मेशन (एनसीबीआई, 2024) के शोध के अनुसार, 10-18 वर्ष के 28% किशोरों ने ऑनलाइन उपीड़न का दंश झेला है, और 35% स्क्रीन की अतिशयता से तनाव और चिंता के शिकार हुए हैं। ऐसे में माता-पिता की भूमिका अब केवल नियमों की चौकीदारी तक सीमित नहीं। उन्हें एक

संपादकीय

पैरेंटिंग 2.0- तकनीक और ममता के बीच पुल बनते माता-पिता

भावनात्मक पथदर्शक बनना है—जो स्त्रीन की ठंडी चमक के पीछे छुपे बच्चे के डर, असुरक्षा और उनके सपनों को न केवल समझें, बल्कि उनके साथ कदम से कदम मिलाकर एक सुरक्षित और प्रेरणादायक भविष्य का निर्माण करें। पेरेंटिंग अब आदेशों का शोर नहीं, बल्कि संवाद का सौम्य संगीत है। वह दूर लद गया, जब डॉट और नसीहत से बच्चे का रास्ता बन जाता था। आज का बच्चा भरोसे की गर्माहट और खुले दिल की तलाश में है। यू।रिसर्च सेंटर (2024) के एक सर्वे में 62% किशोरों ने खुलासा किया कि वे अपने माता-पिता के साथ दिल खोलकर बात करना चाहते हैं, मगर केवल 29% को लगता है कि उनकी भावनाओं को सही मायने में समझा जाता है। यह आँकड़ा एक गहरी सच्चाई को उघाड़ता है—बच्चों को सुनने और समझने की जरूरत अब पहले से कहीं ज्यादा है। माता-पिता को हर साल का जवाब थोपने के बजाय, बच्चों को सवाल उठाने की हिम्मत देनी होगी। उदाहरण के लिए, अगर बच्चा सोशल मीडिया के किसी ट्रेंड के पीछे भागना चाहता है, तो उसे डॉटने के बजाय, थार से समझाना होगा कि वह ट्रेंड क्यों भटकाने वाला हो सकता है। यह प्रक्रिया न सिर्फ बच्चे की तार्किक सोच को जागृत करती है, बल्कि उनके आत्मविश्वास को भी आसमान की जँचछायों तक उड़ान देती है। डिजिटल साक्षरता अब पेरेंटिंग का अभिन्न अंग है, एक ऐसी कला जो आज के युग में अपरिहार्य है। बच्चे एआई से सवाल पूछते हैं, गैमिंग प्लेटफॉर्म पर दोस्त बनाते हैं, और ऑनलाइन अपनी पहचान की तलाश में भटकते हैं। मगर इस चमकती वचुअल दुनिया में वे अक्सर अकेलेपन, तुलना के दबाव, और आत्मसम्मान की चुनौतियों के भँवर में फँस जाते हैं। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी (2023) के एक अध्ययन ने खुलासा किया कि सोशल मीडिया के अत्यधिक उपयोग से किशोरों में आत्मसम्मान 20% तक घट जाता है। ऐसे में माता-पिता को बच्चों को न केवल डिजिटल साक्षरता, बल्कि भावनात्मक परिपक्वता का पाठ भी पढ़ाना होगा। इसका अर्थ है—ऑनलाइन सामग्री की सत्यता को

खाना, साइबर सुरक्षा के गुरु सिखाना, और स्क्रीन टाइम का संतुलन बनाना। माता-पिता को बच्चों की ऑनलाइन दुनिया में संवेद्यशील बनना होगा, खुली चर्चा के जरिए उनके अनुभवों को समझना होगा। मिसाल के तौर पर, अगर बच्चा यूट्यूब पर कोई वीडियो देख रहा है, तो माता-पिता उस कंटेन्ट पर बात शुरू कर सकते हैं, यह पूछते हुए कि उसने उससे क्या सीखा। यह बिल्क बच्चे की आलोचनात्मक सोच को निखारता है, बल्कि माता-पिता के साथ उनके रिश्ते को भी अटूट विश्वास की डोरी से बांधता है। आज के माता-पिता को एक बच्चा की तरह होना होगा—वह साथी, जो बच्चे को न केवल चलना सिखाए, बल्कि गिरकर उठने का साहस भी दे। उन्हें हर सवाल का जवाब थोपने के बजाय, सही सवाल पूछने की कला सिखानी होगी। पेरेंटिंग अब महज मार्गदर्शन नहीं, बल्कि एक जीवन संवाद है, जहाँ माता-पिता और बच्चा कंधे से कंधा मिलाकर सीखते हैं—तकनीक की रफ्तार को गले लगाते हुए, संवेदनाओं की गर्माहट को सहेजते हुए, और भविष्य को सुनहरें बच्चों से संवातते हुए। ऐसे युग में, जहाँ बच्चे एक क्षमर में बेउत्तर हजारों लोगों से जुड़ सकते हैं, अनिवार्य है कि वे अपने माता-पिता के साथत्वस्था भावनात्मक बंधन में बंधे रहें। क्योंकि अगर माता-पिता ने उन्हें समय, समझ, और प्यार की छँव नहीं दी, तो दुनिया का तूफान उनके पिताकाने को तैयार बैठ है। आज के माता-पिता को अपनी भूमिका को नए सिरे से गढ़ना होगा। वे अब केवल पालनकर्ता नहीं, बल्कि प्रेरणा के स्रोत, मार्गदर्शक और डिजिटल युग के जीवन गुरु हैं। उन्हें बच्चों को न सिर्फ ज्ञान की रोशनी देनी है, बल्कि संवेदना, सच्चिन्नुता और आत्मनियंत्रण जैसे अमूल्य रत्न भी सौंपने हैं। जब बच्चे की आँखों में यह अटूट विश्वास चमकेगा कि 'मेरे माता-पिता मेरे साथ हैं, मेरे दिल को समझते हैं, और हर सवाल में मेरी हानि नहीं, 'मेरी हम गर्व से कह सकते कि हमने न केवल एक बेहतर ईंसन, बल्कि एक उज्ज्वल, मानवीय युग का निर्माण किया है।

प्रो. आरके जैन

पर्यावरण के रचनात्मक प्रशासन के जारे हारत बदलाव

आयुक्त सचिवों में उद्योगों का शामिल करने के उद्देश्य से 2015 में प्रदर्शन, उपलब्धि और व्यापार (पीएटी) योजना का विस्तार किया गया। इससे ऊर्जा संबंधी दक्षता के लिए एक बाजार-आधारित तंत्र का निर्माण हुआ।

कचरे के कारगर प्रबंधन, संसाधन संबंधी दक्षता में बढ़ोतरी और चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 2016 से कचरे के प्रबंधन के सभी प्रमुख नियमों को नियमित रूप से अद्यतन किया जा रहा है। इस दृष्टिकोण का बुनियादी सिद्धांत बाजार आधारित तंत्र और प्रदूषक द्वारा भुगतान के सिद्धांत- पर आधारित विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व से जुड़े ढांचे पर निर्भरता में निहित है। प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियम, ई-कचरा प्रबंधन नियम तथा टायर, बैटरी एवं प्रयुक्त तेल अपशिष्ट प्रबंधन नियम आदि इन्हीं सिद्धांतों के आधार पर तैयार किए गए थे। इससे एक ऐसे इकोसिस्टम का निर्माण हुआ, जिसके तहत विभिन्न सामग्रियों के लगभग 4,000 पुनर्चक्रणकर्ताओं को पंजीकृत पुनर्चक्रणकर्ताओं के रूप में अनौपचारिक क्षेत्र से हटाकर औपचारिक क्षेत्र में लाया गया है। इस कदम से वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान 1600 करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व प्राप्त हुआ है। वर्ष 2022 में शुरू किए गए विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) पोर्टल चक्रीय अर्थव्यवस्था की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, कुल 61,055 उत्पादकों ने प्लास्टिक पैकेजिंग, ई-कार, बेकार टायर, बैटरी के कचरे और प्रयुक्त तेल के क्षेत्र में काम करने हेतु ईपीआर पोर्टल पर पंजीकरण कराया है। अपशिष्ट नियम, 2022 के प्रकाशन और ईपीआर पोर्टल की शुरुआत के बाद शोधित अपशिष्ट की मात्रा वित्तीय वर्ष 2024-25 में इन नियमों के प्रकाशन से पहले 3.6 एमएमटी प्रति वर्ष की तुलना में बढ़कर 127.48 एमएमटी प्रति वर्ष हो गई है। यह सभी हितधारकों के सहयोग एवं समर्थन से संभव हुआ है। 'परिवेश' ने पर्यावरण संबंधी मंजूरी की बोझिल एवं कागज-आधारित प्रक्रिया को एक सुव्यवस्थित एवं मजबूत डिजिटल अनुभव में बदल दिया है। इस दृष्टिकोण ने जहां

पर्यावरण से जुड़े सख्त मूल्यांकन को बनाए रखना है, वहीं इस प्रक्रिया में लगने वाले समय में काफी कीमती ला दी है और पारदर्शिता को बढ़ाया है। वर्ष 2019 में शहरों पर केन्द्रित कार्य योजनाओं से लैस 'राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम' (एनसीएपी) नीति, आधिकारिक शुभारंभ ने हमें नीति निर्माता एवं नियामक से बदलकर अमल करने वाला बना दिया है। एनसीएपी का लक्ष्य 2025-26 तक कीमती 100 सद्राता में 40 प्रतिशत तक पीएम10 आधार र्च 2017-18 की तुलना में 60 माइक्रोग्राम प्रति घनमीटर के राष्ट्रीय मानक को हासिल करना है। एनसीएपी के साथ-साथ सीपीसीबी ने एनसीएपी के तहत आने वाले 131 शहरों में वायु की गुणवत्ता के रूझान की बारीकी से निगरानी करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

1 जुलाई, 2022 से एकल उपयोग वाले प्लास्टिक पर प्रतिबंध और 31 दिसंबर 2022 से 120 माइक्रोन से अधिक मोटाई वाली प्लास्टिक शीट पर प्रतिबंध ने जहां पर्यावरण के क्षेत्र में साहसिक नेतृत्व का परिचय दिया, वहीं उसी वर्ष शुरू किए गए 'जल जीवन मिशन' ने पानी की सुलभता को पर्यावरणीय स्थिरता के साथ जोड़ा। एक व्यापक 'भारत शीतलन कार्य योजना' विकसित करके भारत दुनिया के अग्रणी देशों में शामिल हो गया है। इस कार्य में शामिल हैं विभिन्न क्षेत्रों की शीतलन संबंधी जरूरतों को पूरा करने वाले एक दीर्घकालिक दृष्टिकोण समावेश है तथा इसमें ऐसे कार्यों की सूची दी गई है जो शीतलन से जुड़ी मांग को कम करने में सहायक हो सकते हैं। भारत ने हाइड्रोफ्लूरोकार्बन (एचएफसी) के उत्सर्जन में चरणबद्ध तरीके से कमी लाते हुए 27 सितंबर 2021 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में किगाली समंधन का अनुमोदन किया। इसके तहत 2032 से आगे चार चरणों में चरणबद्ध तरीके से इस कार्य को पूरा करने की प्रतिबद्धता जताई गई है और 2032, 2037, 2042 एवं 2047 में उत्सर्जन में क्रमशः 10 प्रतिशत, 20 प्रतिशत, 30 प्रतिशत और 85 प्रतिशत की कटौती की जाएगी। वर्ष 2022 में पारित ऊर्जा संरक्षण (संशोधन) अधिनियम ने भारत की कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना की स्थापना की।

मुद्रक, प्रकाशक एवं सम्पादक रवि कुमार अस्थथी द्वारा सुशोला स्टेडी वेत एकेडमी 17-महाल्ल विजय लक्ष्मी नगर परगना खेराबाद तहसील व जनपद -सातापुर से प्रकाशित तथा महावीर आफसेट 28, हाँवेट रोड लखनऊ से मुद्रित। सम्पादक रवि कुमार अवस्थी समाचार पत्र में छत्र समस्त समाचार सवादादताओं का अपन श्रोत एवं सकलन हैं, जिनसे सम्पादक का सहमत होना आवश्यक नहीं है। **नोट:-**उपरोक्त सभी पद अवैतनिक एवं स्वयंसेवी हैं तथा समाचार पत्र से सम्बंधित सारे विवादो का न्याय क्षेत्र सीतापुर होगा। **R.N.I.NO. UPHIN/2012/43078 मो ० -9511151254, E-Mail :- news@swatantraprabhat.com**



